हिमाचल प्रदेश चौदहवीं विधान सभा

ग्यारहवां सत्र

समाचार भाग-1

संख्या : 97

बुधवार, 18 मार्च, 2026/27 फाल्गुन, 1947(शक्)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

समयः 11.00 बजे (पूर्वाह्न)

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष, श्री कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

अध्यक्ष महोदय द्वारा सम्बोधन

प्रश्नकाल आरम्भ करने से पूर्व अध्यक्ष महोदय ने सदन को सम्बोधित करते हुए कहा कि आप सभी का बजट सत्र के द्वितीय चरण में स्वागत है और उम्मीद है कि सभी सम्माननीय सदस्य प्रदेश हित के विषयों के ऊपर गम्भीरता से विचार-विमर्श करते हुए उन्हें पूरा सहयोग देंगे।

अध्यक्ष महोदय ने माननीय सदस्य श्री पूर्ण चन्द ठाकुर को उनके जन्मदिन के अवसर पर हार्दिक शुभ कामनाएं भी दीं।

1. प्रश्नोत्तर

(I) तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्याः 2319 (स्थगित), 3082 (स्थगित) और तारांकित प्रश्न संख्या 3852 से 3853 व 3855 से 3858 तक के उत्तरों पर माननीय सदस्यों द्वारा अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा माननीय मुख्य मंत्री/उप-मुख्य मंत्री/संबंधित मंत्रियों द्वारा उत्तर दिए गए।

तारांकित प्रश्न संख्याः 3854 पर माननीय सदस्य की अनुपस्थिति के कारण अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछा गया।

तारांकित प्रश्न संख्याः 3859 से 3905 तक के उत्तर संबंधित मंत्रियों द्वारा दिए गए समझे गए।

(II) अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्याः 1518(स्थगित), 1522 (स्थगित) व अतारांकित प्रश्न संख्याः 1559 से 1571 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

शून्य काल

शून्य काल के दौरान कोई भी विषय सदन में नहीं उठाया गया क्योंकि इस संदर्भ में कोई भी सूचना माननीय अध्यक्ष को प्राप्त नहीं हुई थी।

2. साप्ताहिक शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य ः

श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री ने वर्तमान सप्ताह की शासकीय कार्यसूची से सदन को अवगत करवाया।

3. स्वीकृत विधेयक सभा पटल पर ः

सचिव, विधान सभा ने निम्न विधेयकों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखी, जिसे सदन द्वारा पारित किए जाने के उपरान्त राज्यपाल महोदय की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी हैः-

(1) हिमाचल प्रदेश नगर निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025 (2026 का अधिनियम संख्यांक 4);
(2) अटल आयुर्विज्ञान और अनुसंधान विश्वविद्यालय, हिमाचल प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2024 (2026 का अधिनियम संख्यांक 5);
(3) हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा की शर्तें (संशोधन) विधेयक, 2025 (2026 का अधिनियम संख्यांक 6); और

(4) हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025 (2026 का अधिनियम संख्यांक 7)

4. माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव - प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा :

1. माननीय सदस्य श्री सुरेश कुमार ने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर निम्न शब्दों में उनकी सेवा में धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया एवं चर्चा कीः-

"इस सदन में एकत्रित सदस्य, राज्यपाल महोदय का दिनांक 16 फरवरी, 2026 को उन्हें सम्बोधित करने के लिए हृदय से आभार प्रकट करते हैं।"

माननीय प्रतिपक्ष श्री जयराम ठाकुर ने माननीय सदस्य श्री सुरेश कुमार द्वारा सिराज विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के बारे में कही गई बातों को पूरी जिम्मेदारी के साथ खारिज करते हुए कहा कि किसी भी क्षेत्र में विकास करना उस क्षेत्र के चुने हुए प्रतिनिधि का दायित्व होता है जोकि निभाया गया है। यह कहा गया कि 12 रैस्ट हाउस खोल दिए गए और सिराज विधान सभा क्षेत्र तथा धर्मपुर विधान सभा क्षेत्र को टारगेट किया गया। वे स्पष्ट करना चाहते हैं कि वह रैस्ट हाउस नहीं है बल्कि इंस्पेक्शन हट की श्रेणी में है। बाकायदा सभी डी0पी0आर0 की अप्रूवल के बाद उनका प्रावधान था, उसी प्रावधान के अंतर्गत वे बनाए गये हैं। जल जीवन मिशन के अंतर्गत पूरे देश भर में सबसे बेहतरीन काम करने वाला राज्य हिमाचल प्रदेश को उस समय चुना गया था और उसका इंसेंटिव भी मिला था। मुख्य मंत्री जी अपने भाषण के दौरान अक्सर बोलते हैं कि 1000 करोड़ रुपये की बिल्डिंग बना दी गईं। यदि वे गलत बनी हैं तो बुलडोज़र लाइए और उन्हें तोड़ दीजिए, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। उनके कार्यकाल के दौरान किसी विधान सभा क्षेत्र में जो भी विकास कार्य हुए हैं वे जनहित को ध्यान में रखते हुए जनप्रतिनिधियों के कहने पर किए गए हैं।

माननीय मुख्य मंत्री ने भी स्पष्ट किया कि वर्तमान सरकार ने पैसे का सदुपयोग सुनिश्चित किया है जबकि पिछली सरकार के समय में पैसे का दुरुपयोग किया गया था। इसीलिए कहा गया कि 1000 करोड़ रुपये की बिल्डिंग्ज बना कर रख दी गईं लेकिन वास्तव में वे खाली पड़ी हैं उनका पिछली सरकार द्वारा सदुपयोग

सुनिश्चित नहीं किया गया। जबकि वर्तमान सरकार खाली और अधूरी पड़ी बिल्डिंग्स व कार्यों को पूर्ण करके उनका सदुपयोग सुनिश्चित कर रही है तथा प्रदेश की संपदा की पाई-पाई प्रदेश हित में लगाने के लिए दृढ़ संकल्प है।

(**12.58 बजे अपराह्न सदन की बैठक भोजनावकाश के लिए 2.00 बजे अपराह्न तक स्थगित की गई।**)

(**भोजनावकाश के उपरांत 02.05 बजे अपराह्न सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष, श्री कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।**)

Ruling by the Hon'ble Speaker

"Since the Hon'ble Chief Minister is not in the House, I am requesting the Hon'ble Parliamentary Affairs Minister, and also requesting all the Members, to be decorous in the House, failing which I will be forced to take action under Rule 319. So, this is what I want to apprise all the Hon'ble Members, that they should be decorous. Any insinuation or instigation will be dealt with very seriously against the Chair, if any. This is what I wanted to inform both the Members from the Ruling and the Opposition side also. So, the Hon'ble Parliamentary Affairs Minister should ensure that there should be decorum in the House. Some Members are taking the House for granted. I am not to deal with their sickness."

2. **श्री कुलदीप सिंह राठौर** ने धन्यवाद प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया तथा चर्चा की।

निम्नलिखित ने चर्चा में भाग लिया :-

1. श्री जय राम ठाकुर, नेता प्रतिपक्ष

माननीय मुख्य मंत्री ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि आर्टिकल 275(1) के तहत वर्ष 1952 से कभी भी किसी सरकार ने आर0डी0जी0 बंद नहीं की। आय और व्यय के अंतर को पाटने के लिए ही टैक्सिस का शेयर होता है। जब आपको (श्री जय राम ठाकुर) सत्ता मिली थी तो उस समय 48

हजार करोड़ रुपये प्रदेश पर कर्ज था और तत्कालीन सरकार को आर0डी0जी0 व जी0एस0टी0 कंपनसेशन के रूप में लगभग 70 हजार करोड़ रुपये मिले थे। अगर उस समय 70 हजार करोड़ रुपये में से 20 हजार करोड़ रुपये का लोन वापिस कर देते तो प्रदेश पर सिर्फ 28 हजार करोड़ रुपये का कर्ज रहता। यह पहली बार किया गया है कि 16वें वित्तायोग द्वारा आर0डी0जी0 को बंद कर दिया गया। आर0डी0जी0 प्रदेश की 75 लाख जनता का अधिकार है। इसे बहाल कराने में विपक्ष का समर्थन हासिल करने के लिए ही विशेष सत्र बुलाया गया था।

माननीय मुख्य मंत्री ने हिम केयर व सहारा योजना के अंतर्गत लाभान्वित किए गए लाभार्थियों का आंकड़ों व व्यय सहित ब्योरा दिया और कहा कि भ्रष्टाचार के माध्यम से जिसने भी सम्पत्ति अर्जित की होगी, वह जनता की सम्पत्ति है और दोषी व्यक्ति के खिलाफ कानून अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार पारदर्शिता, ईमानदारी से काम कर रही है। जो व्यक्ति ईमानदार होगा सरकार उसको तंग नहीं करेगी और जिसने भी भ्रष्टाचार के माध्यम से अकूत सम्पत्ति अर्जित की है उसका ब्योरा सभापटल पर रखेगी।

2. श्री राम कुमार, सदस्य

(3.26 बजे अपराह्न माननीय सभापति श्री संजय रत्न पदासीन हुए।)

3. श्री प्रकाश राणा, सदस्य
4. श्री सुदर्शन सिंह बबलू, सदस्य
5. श्री जीत राम कटवाल, सदस्य

माननीय सदस्य श्री जीत राम कटवाल द्वारा पानी पर टैक्स लगाने का ज़िक्र करने के संदर्भ में **माननीय उप-मुख्य मन्त्री** ने सदन को स्पष्ट किया कि जल जीवन मिशन के तहत केन्द्र सरकार ने आग्रह किया है कि पानी पर मिनिमम चार्ज वसूल किया जाए और पूरे देश को कहा है कि 25 रुपये बी0पी0एल0

व 100 रुपये अन्य परिवारों से चार्ज किया जाए लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार ने इसको लागू नहीं किया है जबकि यह जल जीवन मिशन की रिक्वायरमैंट है जिसके लिए केन्द्र सरकार से बार-बार स्मरण पत्र आ रहे हैं।

6. श्री किशोरी लाल, सदस्य

(05.00 बजे अपराह्न सदन की बैठक 06.00 बजे अपराह्न तक बढ़ाई गई।)

7. श्री रणवीर सिंह निक्का, सदस्य
8. श्री नीरज नैय्यर, सदस्य
9. श्री दीप राज, सदस्य

(05.53 बजे अपराह्न माननीय अध्यक्ष पदासीन हुए।)

10. श्री मलेन्द्र राजन, सदस्य

(06.00 बजे अपराह्न सदन की बैठक 06.30 बजे अपराह्न तक बढ़ाई गई।)

11. श्री दलीप ठाकुर, सदस्य

माननीय राजस्व मंत्री ने शिवा कलस्टर के बारे में स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि यह केन्द्र सरकार की योजना नहीं है और माननीय सदस्य श्री दलीप ठाकुर के चुनाव क्षेत्र में बहुत ही अच्छे कलस्टर लग रहे हैं।

06.25 बजे अपराह्न सदन की बैठक वीरवार, दिनांक 19 मार्च, 2026 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित हुई।

*****